नोटिस बैनर दुर्गापूर्जा की छुट्टी के बाद 22 अक्तूबर से खुलेंगे तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेज

टीएमबीयू. वेतन-पेंशन भुगतान, प्रोन्नति, नियुक्ति का मामला

35 शिकायतों पर राजभवन सख्त कुलपति से मांगा कार्रवाई का ब्योरा

वरीय संवाददाता, भागलपुर

टीएमबीयू में शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों की समस्या को लेकर लोकभवन सचिवालय ने सख्त रुख अपनाया है. विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मामलों के समाधान के लिए 35 आवेदकों की ओर से भेजे गये आवेदनों पर कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. राज्यपाल के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से 13 अक्तूबर को कुलपति को भेजे गये पत्र में शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन कर कार्रवाई की रिपोर्ट आवेदकों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ लोकभवन सचिवालय को भी अवगत कराने को कहा गया है. पत्र के अनुसार आवेदनों में शिक्षकों

की वरिष्ठता, वेतन-पेंशन भुगतान, प्रोन्नति, नियुक्ति, परीक्षा व्यवस्था, नामांकन और विश्वविद्यालय की संपत्ति से जुड़े मामले शामिल हैं. इनमें कई शिकायत लंबे समय से लंबित मामले से संबंधित हैं.

कर्मी उपानंद दास की शिकायत पर सर्वानंद की नियुक्ति मामले में मांगी रिपोर्ट : डॉ एनके सिंह ने महाविद्यालय में शिक्षकों की वरिष्ठता को दरकिनार कर कनीय शिक्षक को प्रभारी बनाने के विरुद्ध आवेदन दिया है. अनिल कुमार शर्मा ने अधिसूचना संख्या 59/2017 के संशोधन के तहत संबंधित शिक्षकों को अनुदान में मिलने वाला अंश दिलाने की मांग की है. विवि के उपानंद दास ने सर्वानंद प्रसाद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि छिपाकर अवैध रूप से उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने और राजकीय धन के गबन से संबंधित शिकायत की है. महावीर प्रसाद ने विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बेचने का मामला उठाया है. मुरारी मिलनारुण ने सेवा विस्तार और पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित शिकायत की है. प्रो बीएन अग्रवाल ने बकाया पेंशन भुगतान का मुद्दा उठाया है.

वेतन-पेंशन और विद्यार्थियों की समस्या भी शामिल : शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने वेतन भुगतान की समस्या उठायी है. डॉ सरोज कुमार, डॉ अशोक कुमार झा व डॉ राज कुमार शाह ने भी बकाया वेतन या प्रोन्नति से जुड़े मामले कर शिकायत की है. सदानंद झा ने बकाया राशि व पेंशन भुगतान करने की शिकायत की है. शोधार्थी मोनालिसा मुखर्जी ने सांख्यिकी विभागाध्यक्ष प्रो निसार अहमद के विरुद्ध शैक्षणिक अनियमितता और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत की है.

दुर्गापूर्जा की छुट्टी के बाद 22 से खुलेगा टीएमबीयू

भागलपुर. टीएमबीयू, संबंद्ध इकाई, पीजी विभाग व कॉलेजों में दुर्गापूर्जा की पांच दिनों तक छुट्टी है. विवि के अधिकारी ने कहा कि लोकभवन के कैलेंडर के अनुसार अवकाश घोषित किया गया है. 22 अक्तूबर से विवि व कॉलेज खुलेंगे.

जिला एथलेटिक्स टीम चयन प्रतियोगिता 25 को

भागलपुर. हैदराबाद में 14 से 16 नवंबर तक नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट आयोजित किया जायेगा. इसे लेकर भागलपुर जिला एथलेटिक्स टीम के लिए चयन प्रतियोगिता 25 अक्तूबर को सैंडिस कंपाउंड में सुबह नौ बजे से होगी. जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव नसर आलम ने बताया कि प्रतियोगिता में वे एथलीट भाग ले सकेंगे, जिनका पास एएफआइ से यूआइडी कार्ड बना हो. उनकी उम्र अंडर-14 में 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 तक, अंडर-16 की उम्र 17 नवंबर 2010 से 16 नवंबर 2012 के बीच हो. ये 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, बैक थ्रो, 600 मीटर दौड़ होगी. जैवलिन थ्रो में हिस्सा ले सकेंगे. इसकी तैयारी को लेकर जेड हसन की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि चयनित टीम को ही प्रतियोगिता में भेजा जायेगा. मौके पर प्रमोद मंडल, जितेंद्र मणि राकेश, एमए परवेज, अकरम अली, राजा कुमार,अबु जुलाब, मो मुराद, फारूक आजम, शहजाद अंजुम, कुंदन कुमार, सौरव कुमार, शाहिद हुसैन, शिशुपाल भारती,स्नेहा मरांडी, किरण कुमारी, मो कादिर, परवल सिंह, नीरज राय, प्रवीण झा आदि मौजूद थे.

डॉ अंशुमान के मार्गदर्शन में 15 लोगों को सफलता

भागलपुर. इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए जारी परिणाम में टीएनबी के इतिहास विभाग के शिक्षक डॉ अंशुमान सुमन के मार्गदर्शन समूह से जुड़े 15 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की बेहतर तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क मार्गदर्शन समूह बनाया था. डॉ सुमन ने बताया कि समूह से जुड़े लगभग 30 अभ्यर्थियों में 15 को साक्षात्कार में अंतिम रूप से सफलता मिली.

इंजीनियर को हटाने के मामले दो बार पत्र, नहीं भेजा जवाब

वरीय संवाददाता, भागलपुर

टीएमबीयू में संविदा पर कार्यरत मैकेनिकल इंजीनियर मुरारी मिलनारुण को पद रहते हटाने के मामले में लोकभवन के अपर सचिव संजय कुमार ने एक सप्ताह में दूसरी बार विवि से रिपोर्ट मांगी है. दूसरी बार रिपोर्ट के लिए 13 अक्टूबर को विवि को पत्र लिखा. लेकिन मामले में विवि प्रशासन ने जवाब नहीं दिया है. मुरारी मिलनारुण ने कहा है कि विवि सबूत दे कि मैकेनिकल इंजीनियर का पद नहीं है. वहीं, एमएएम कॉलेज के समाजशास्त्र के गेस्ट फैकल्टी रवींद्र कुमार राम को विवि सेवा आयोग से इस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने पर पद नहीं बचने की बात कहकर हटा दिया था.

जबकि रवींद्र कुमार राम ने आरोप लगाया था कि पद की गणना में विवि ने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया था. इस बाबत विवि ने लोकभवन के पहले के छह पत्रों का जवाब अबतक नहीं भेजा है. उधर, रविंद्र कुमार राम ने कहा कि लोकभवन के अपर सचिव ने विवि के कुलपति को रिपोर्ट देने के लिए 15 अक्टूबर को फिर से पत्र लिखा है.

पूर्व रेलवे

निविदा सं. ईएल-एमएलडीटी-ई-टेंडर-477, दिनांक 16.10.2026। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (जी), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन कार्यालय भवन, डाकघर-झलझलिया, जिला-मालदा, पिन-732102 (प.बं.) द्वारा निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए अनुभवी एवं वित्तीय रूप से मजबूत प्रतिष्ठित फर्मो/एजेंसियों/ठेकेदारों से खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नामः** मालदा टाउन मंडल के तहत विभिन्न लेवल क्रॉसिंग गेट पर एटी विद्युत आपूर्ति का प्रावधान तथा पेनल रूम में एटी विद्युत आपूर्ति का मजबूतीकरण। **निविदा मूल्यः** रु. 93,94,513.06; **बयाना राशिः** रु. 1,87,900; **निविदा दस्तावेज की कीमतः** शून्य। **ई-निविदा जमा करने की तारीख एवं समयः** 26.10.2026 से 09.11.2026 को 15.30 बजे तक। **वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट्टः www.ireps.gov.in** तथा सीनियर डीईई (जी), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन का कार्यालय। निविदादाताओं से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर विस्तृत निविदा सूचना एवं दस्तावेज देखने का अनुरोध किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। (MLD-224/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सं. ईएल-एमएलडीटी-ई-टेंडर-475, दिनांक 16.10.2026। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (जी), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन कार्यालय भवन, डाकघर-झलझलिया, जिला-मालदा, पिन-732102 (प.बं.) द्वारा निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए अनुभवी एवं वित्तीय रूप से मजबूत प्रतिष्ठित फर्मो/एजेंसियों/ठेकेदारों से खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नामः** (I) मालदा टाउन में 40 बिस्तरों वाले आरपीएफ कोटे बैरक के साथ विभिन्न इकाइयों के 05 कार्यालयों, मालखाना तथा सेंट्रल कोटे बैरक के निर्माण के संबंध में विद्युतीय कार्य। (II) मालदा टाउन में रेलवे इंस्टीट्यूट के उन्नयन एवं सुधार के संबंध में विद्युतीय कार्य। **निविदा मूल्यः** रु. 50,15,082.34; **बयाना राशिः** रु. 1,00,300; **निविदा दस्तावेज की कीमतः** शून्य। **ई-निविदा जमा करने की तारीख एवं समयः** 26.10.2026 से 09.11.2026 को 15.30 बजे तक। **वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट्टः www.ireps.gov.in** तथा सीनियर डीईई (जी), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन का कार्यालय। निविदादाताओं से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर विस्तृत निविदा सूचना एवं दस्तावेज देखने का अनुरोध किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। (MLD-227/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व मध्य रेल

ई निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के तरफ से निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **ई.निविदा सं:** पूमरे–मुप्रअ–नि–द–ईपीसी 04–26–27 **कार्य का नाम:** झाझा–बाटिया नई लाइन परियोजना" के अंतर्गत, 25T इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) कार्य। इसमें अर्थवर्क, ब्लैकटिंग, छोटे और बड़े पुल, LHS/RUB, ROB, ट्रैक का काम, प्लेटफॉर्म का काम, स्टेशन बिल्डिंग, FOB, अन्य इमारतें और इनसे जुड़े विविध कार्य शामिल हैं। यह कार्य चेनज 1.350 किमी (झाझा को छोड़कर) से 22.000 किमी (बाटिया स्टेशन सहित) तक है (कुल 20.650 रूट किमी, 27.888 ट्रैक किमी)। **अंकलित मूल्य (रू.):** 4399781706.58 **निविदा प्रपत्र का लागत (रू.):** 0.00 **अग्रधन राशि (रू.):** 87995600/– **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 810 दिन **निविदा बंद होने की तिथि एवं समय:** 11.02.2027 at 15:30 बजे। सी ई–निविदाओं के तहत डाक/कुरियर फैक्टछ या व्यक्तिगत रूप से भेजा गया कोई भी मैनुअल निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही यह फर्म (Firm) के लेटर हेड एवं वियत समय पर प्राप्त किया गया हो। ऐसे राभी मैनुअल निविदा अस्वीकार्य होगा तथा उसके बारे में बिना किसी विचार के तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त ई–निविदा दस्तावेज सहित की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट: **http//www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। **द्रष्टव्य:** निविदा सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। प्रत्याशित निविदादाताओं को यह सलाह दी जाती है कि इस ई–निविदा के लिए जारी कोई भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देने के लिए वे निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले वेबसाइट **www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें। कोई भी परिवर्तन शुद्धिपत्र सिर्फ IREPS वेबसाइट पर ही उपलब्ध किये जाएंगे। **मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण**

पीआर/1140/सीएन/एमएचएक्स/सीओएनएसटी/टी/26–27/44

पूर्व मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

सं0 T-SEE-GSU-2026-27-06

CAO/CON/RSP/MHX भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए 'खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं। ई–निविदा की अंतिम तिथि 11.11.2026 को 15:00 बजे तक निर्धारित है। ई–निविदा संबंधी एवं निविदा प्रपत्र का अवलोकन वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर किया जा सकता है। **(1)Name of Works:** Balance work & other miscellaneous works of Amrit Bharat Stations Scheme at Dighwara, Sonpur (1st & 2nd entry), Hajipur (1st & 2nd entry), Shahpur Patoree, Bhagwanpur, Ramdayalu Nagar, Dalsingh sarai, and other stations under Sonpur Division. **(2)Advertised Value (In Rs.):** 969889324.10 **(3)Bid Security/ Earnest Money (In Rs.):** 19397800.00 **(4)Date and time of the Pre-bid conference:** 22/10/2026, 11:30 hrs. **(5)Tender Closing Date Time:** 11/11/2026, 15:00 hrs. उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी रेल का अधिकार–किसी भी निविदा को स्थगित करने/निरस्त करने अथवा निविदा में सुधार करने हेतु रेलवे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दाता का इसमे कोई दावा मान्य नही होगा।

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति/सोनपुर

पीआर/1138/एसईई/जीएस/टी/26–27/36

पूर्व मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

सं0 T-SEE-GSU-2026-27-07

CAO/CON/RSP/MHX भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं। ई–निविदा की अंतिम तिथि 18.11.2026 को 15:00 बजे तक निर्धारित है। ई–निविदा संबंधी एवं निविदा प्रपत्र का अवलोकन वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर किया जा सकता है। **(1)Name of works:** Balance work & other miscellaneous works of Amrit Bharat Stations Scheme at Lakhminia, Sahebpur Kamal, Khagaria, Mansi, Maheshkhunt, Naugachhia, Karhagola Road, Begusarai and other stations under Sonpur Division. **(2)Advertised Value (In Rs.):** 1235437618.68 **(3)Bid Security/ Earnest Money (In Rs.):** 24708800.00 **(4)Date and time of the Pre-bid conference:** 23/10/2026, 11:30 hrs. **(5)Tender Closing Date Time:** 18/11/2026, 15:00 hrs. उपरोक्त निविदा सूचना वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा संबंधी रेल का अधिकार–किसी भी निविदा को स्थगित करने/निरस्त करने अथवा निविदा मे सुधार करने हेतु रेलवे का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दाता का इसमे कोई दावा मान्य नही होगा।

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक गतिशक्ति/सोनपुर

पीआर/1144/एसईईजीएस/जीएस/टी/26–27/36

पूर्व रेलवे

निविदा सं. ईएल-एमएलडीटी-ई-टेंडर-476, दिनांक 16.10.2026। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (जी), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन कार्यालय भवन, डाकघर-झलझलिया, जिला-मालदा, पिन-732102 (प.बं.) द्वारा निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए अनुभवी एवं वित्तीय रूप से मजबूत प्रतिष्ठित फर्मो/एजेंसियों/ठेकेदारों से खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नामः** (I) मालदा मंडल के तहत धरहरा/मालदा टाउन, हेल्थ यूनिट, साहिबगंज एवं भागलपुर में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि के साथ अन्य आनुषंगिक कार्य के संबंध में विद्युतीय कार्य। (II) न्यू फरक्का एवं सुल्तानगंज स्टेशनों में 40 केएलडी क्षमता की पूर्व निर्मित वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट की स्थापना। **निविदा मूल्यः** रु. 1,27,51,029.40; **बयाना राशिः** रु. 2,55,000; **निविदा दस्तावेज की कीमतः** शून्य। **ई-निविदा जमा करने की तारीख एवं समयः** 26.10.2026 से 09.11.2026 को 15.30 बजे तक। **वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट्टः www.ireps.gov.in** तथा सीनियर डीईई (जी), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन का कार्यालय। निविदादाताओं से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर विस्तृत निविदा सूचना एवं दस्तावेज देखने का अनुरोध किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। (MLD-225/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(1) के अधीन कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है। प्राधिकृत अधिकारी ने कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर उन्हें रकम का भुगतान करने के लिए कहते हुए यहां निम्नवर्णितानुसार प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथियों को मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार रकम का भुगतान करने में असफल रहे, यहां निम्न वर्णित कर्जदारों/गारंटीदाताओं और आम लोगों को एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथियों को कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों/गारंटीदाताओं और आम नागरिकों को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यहां निम्न वर्णित प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित रकम और उसपर ब्याज हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।

शाखा	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि नियम 13(2) के तहत	कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि
1. फारबिसगंज	**ऋणी:** जय प्रकाश गुप्ता (मैसर्स हेमा एच.पी.), पिता सीता राम गुप्ता ग्राम-कसाट, पो.+थाना- सिकटी, जिला - अररिया, बिहार - 854333 सीताराम साह **(गारंटर)** पिता स्व. फौजदार साह ग्राम - भागपोखर गोरियारे चौक, वार्ड नंबर 13(पुराना)/19(नया), पोस्ट +थाना- फारबिसगंज, जिला- अररिया, बिहार - 854318	संपत्ति जो सीता राम साह पिता स्व. फौजदार साह के नाम पर स्थित है: जिसका मौजा - भागपोखर, थाना नं. 150/फारबिसगंज, होल्डिंग नं. 128(नया), तौजी नं. 8/1, वार्ड/नं. 13(पुराना)/19(नया), खाता सं.- 114, खेसरा सं.- 279 क, ख एवं ग, रकबा/क्षेत्रफल-04.92 ½ एकड़ (5.79 कट्ठा या 12.17 डिसमिल मात्र) चौहद्दी- उत्तर : सड़क, दक्षिण :कन्हैया राय, पूरब : लखीचंद साह, पश्चिम: विष्णु/हेमंत	07.07.2026	16.10.2026	₹. 15,84,526/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क.
2. मुरलीगंज	**ऋणी:** राजकमल उर्फ राजू पिता स्व. प्रकाश नारायण यादव निवासी-गुदर चकला (हरिपुरकला), पोस्ट - अमरपुरा, थाना-मुरलीगंज, जिला - मधेपुरा, बिहार - 852122	भूमि एवं भवन जो राजकमल उर्फ राजू पिता प्रकाश नारायण यादव के नाम पर स्थित है: जिसका मौजा- गुदार चकला, थाना नं.-304, थाना-मुरलीगंज, खाता नं.48, खेसरा नं.76 एवं 77, क्षेत्रफल-45 ¾ डिसमिल **चौहद्दी** - उत्तरः निज, दक्षिणः निज, पूरबः सड़क, पश्चिमः निज	10.09.2025	14.10.2026	₹. 32,13,314/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क.

दिनांकः17.10.2026 स्थानः पूर्णिया

नोट - विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

119 FOUNDATION YEAR

शाखा- रजनी चौक, विवेकानन्द कॉलोनी, डाकघर- भट्ठा, रजनी चौक, पूर्णिया, 854301, बिहार, भारत फ़ोन/फ़ोन.9264450897 ईमेल/ईमेल vjpurn@bankofbaroda.com, वेब: www.bankofbaroda.bank.in

कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अनुलग्नक IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी **बैंक ऑफ बड़ौदा,रजनी चौक, पूर्णिया शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54) (एतदपश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न ऋणी को बकाया राशि के प्रतिदाय के लिए निम्न दिनांक को एक मांग सूचना जारी किया था जिसमें निम्न रकम को 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय करने को कहा गया था। ऋणी द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण ऋणी एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा निम्न दिनांक को ले लिया है। ऋणी एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद–फरोख्त न करें तथा इस परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय–विक्रय अंकित रकम साथ ही उसके आगे ब्याज अनुबंधात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे अलग से, **बैंक ऑफ़ बड़ौदा,रजनी चौक, पूर्णिया शाखा** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के अन्तर्गत आमंत्रित है।

ऋणी का नाम /मांग सूचना की तिथि /कब्जा की तिथि/बकाया राशि	बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रभारित अचल संपत्तियों का विवरण
ऋणी का नाम - मेसर्स अमन ऑटो मोबाइल प्रो.- मो. मोहिबुल हक एवं मो. मोहिबुल हक (ऋणी) **श्रीमती नसीमा खातून (गारंटर)** पता - वार्ड संख्या- 6, मदरसा के निकट, लालगंज, पूर्णिया - 854303, बिहार **मांग सूचना की तिथि**- 15.05.2025 **कब्जा सूचना की तिथि**- 16.10.2026 **बकाया राशि** - रु. 38,85,520.74 (रुपये अड़तीस लाख पचासी हजार पांच सौ बीस रुपये एवं चौहत्तर पैसे मात्र) + दिनांक 04.10.2026 तक के अन्य शुल्क, एवं साथ ही भुगतान की तिथि तक अनुबंध के अनुसार ब्याज, अन्य लागतें एवं खर्चे।	संपत्ति के सभी भाग एवं अंश नसीमा खातून के नाम पर स्थित है जो मौजाः लालगंज, अंचल- पूर्णिया पूर्व, थाना संख्या- 109, खाता संख्या- 66 एवं 67, खेसरा संख्या- 1883, 1884, 1878 एवं 1878/4055, सेल डीड संख्या- 7090 दिनांक 18.05.2002, क्षेत्रफल- 36 डेसीमल **चौहद्दी**- उत्तर- अबू तल्हा, दक्षिण- मोहम्मद जहीर, पूर्व- हमजा एवं आफाक, पश्चिम- कच्ची सड़क

दिनांकः 16.10.2026 स्थानः पूर्णिया

वाद की स्थिती में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

एक्सिस बैंक लिमिटेड / AXIS BANK

शाखाः पटना आरएसी । पताः द्वितीय तल, सीता-ऊषा स्क्वायर, कंकड़बाग मुख्य मार्ग, कंकड़बाग, पटना–800020

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त ऋण सुविधाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर मांग सूचनाएं जारी की गई थीं, किंतु वे तामील नहीं हो सकीं; अतः इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन्हें इसके बारे में सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक संपत्ति का विवरण	ए) मांग सूचना की तिथि बी) एनपीए की तिथि	वितरित ऋण राशि	मांग सूचना की तारीख तक बकाया राशि
1.	**घनश्याम कुमार मेहता (उधारकर्ता)** पिताः कपिल देव मेहता पताः फुलकाहा जड़िया, शहर–सुपौल, डाकघर–फुलकाहा, मध्य विद्यालय के निकट, जिला–सुपौल, बिहार **श्रीमती सोनी कुमारी** (सह-आवेदक/उधारकर्ता) पत्नीः घनश्याम कुमार मेहता पताः फुलकाहा जड़िया, शहर–सुपौल, डाकघर–फुलकाहा, मध्य विद्यालय के निकट, जिला–सुपौल, बिहार	गैर-आवासीय भूमि एवं भवन का संपूर्ण भूखंड, क्षेत्रफल 8.8 डिसमिल, मूल पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 3182 दिनांक 21/09/2021 के अनुसार श्री घनश्याम कुमार मेहता, पुत्रः कपिल देव मेहता के नाम पर स्थित। मौजा–फुलकाहा, थाना संख्या 300, थाना–जड़िया एवं अंचल–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल, खाता संख्या 157, खेसरा संख्या 1130। विलेख संख्या 3182 दिनांक 21/09/2021 अनुसार चौहद्दीः उत्तरः निज विक्रेता, दक्षिणः भीम शंकर मेहता, पूर्वः पीसीसी ढलाई सड़क, पश्चिमः श्रवण मेहता एवं निज विक्रेता।	ए) 30-12-2025 बी) 08-08-2025	रु. 11,70,000/- (ऋण खाता सं. 922030043275353 के अंतर्गत) तथा रु. 30,000/- (ऋण खाता सं. 922030043275382 के अंतर्गत)।	रु. 11,48,851.39/- (ग्यारह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ इक्यावन रुपये और उनतालीस पैसे मात्र), ऋण खाता सं. 922030043275353 के अंतर्गत 30-12-2025 तक देय (इसमें 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है) तथा रु. 27,632.06/- (सत्ताईस हजार छह सौ बत्तीस रुपये और छह पैसे मात्र), ऋण खाता सं. 922030043275382 के अंतर्गत 30-12-2025 तक देय (इसमें 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है)। कुल बकाया राशिः रु. 11,76,483.45/- (ग्यारह लाख छिहत्तर हजार चार सौ तिरासी रुपये और पैंतालीस पैसे मात्र)।
2.	राजेश कुमार गुप्ता (उधारकर्ता) पिताः दामोदर प्रसाद गुप्ता वार्ड संख्या 10, धर्मशाला रोड, मंदिर के निकट, सुपौल, बिहार–852131 श्री महेश प्रसाद गुप्ता (सह-आवेदक/उधारकर्ता) पिताः दामोदर प्रसाद गुप्ता वार्ड संख्या 10, धर्मशाला रोड, मंदिर के निकट, सुपौल, बिहार–852131 श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता (सह-आवेदक/उधारकर्ता) पिताः हरिहर साह वार्ड संख्या 10, धर्मशाला रोड, मंदिर के निकट, सुपौल, बिहार–852131	गैर-आवासीय भूमि एवं भवन का संपूर्ण भूखंड, क्षेत्रफल 1.71 डिसमिल, पंजीकृत बंधक विलेख संख्या 2054 दिनांक 21/03/2012 के अनुसार श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री महेश प्रसाद गुप्ता तथा श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता के नाम पर स्थित। मौजा– चकला निर्मली, थाना– सुपौल, अंचल–सुपौल, सदर रजिस्ट्री एवं जिला–सुपौल, थाना संख्या 217, खाता संख्या 12, प्लॉट संख्या 90 एवं 90 ख, उस पर निर्मित भवन एवं संरचना सहित। विलेख संख्या 2054 दिनांक 21/03/2012 अनुसार चौहद्दीः उत्तरः रंजीत साह, दक्षिणः दिनेश प्रसाद गुप्ता, पूर्वः शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता, पश्चिमः पक्की सड़क।	ए) 19-07-2025 बी) 01-06-2025	रु. 12,00,000/- (ऋण खाता सं. 925030009994945 के अंतर्गत) तथा रु. 1,30,200/- (ऋण खाता सं. 925030009994987 के अंतर्गत)।	रु. 12,15,869/- ऋण खाता सं. 925030009994945 के अंतर्गत 19-07-2025 तक देय (इसमें 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है) तथा रु. 28,126/- ऋण खाता सं. 925030009994987 के अंतर्गत 19-07-2025 तक देय (इसमें 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है)। कुल बकाया राशिः रु. 12,43,995/- (बारह लाख तैंतालीस हजार नौ सौ पचानवे रुपये मात्र)।
3.	**श्री मनोज भगत (उधारकर्ता)** पिताः श्याम बिहारी भगत ग्राम–गम्हरिया, वार्ड संख्या 03, शहर–मधेपुरा, डाकघर–गम्हरिया, हनुमान मंदिर के निकट, जिला–मधेपुरा, बिहार–852108 श्रीमती नीलम कुमारी (सह-आवेदक/उधारकर्ता) पत्नीः मनोज भगत ग्राम–गम्हरिया, वार्ड संख्या 03, शहर–मधेपुरा, डाकघर–गम्हरिया, हनुमान मंदिर के निकट, जिला–मधेपुरा, बिहार–852108	आवासीय भूमि एवं भवन का संपूर्ण भूखंड, क्षेत्रफल 4.367 डिसमिल, मूल पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2332 दिनांक 25/02/2011 के अनुसार श्री मनोज भगत, पुत्रः श्याम बिहारी भगत के नाम पर स्थित। मौजा–गम्हरिया, परगना–निशंकपुर कुढ़ा, थाना संख्या 05, वर्तमान भाग 18 एवं पृष्ठ संख्या 04, थाना एवं अंचल– गम्हरिया, उप- निबंधन कार्यालय– मधेपुरा, जिला–मधेपुरा; खाता संख्या 193 (पुराना), 696 (नया), खेसरा संख्या 897 (पुराना), 1504 (नया), हल्का–गम्हरिया। विलेख संख्या 2332 दिनांक 25.02.2011 अनुसार चौहद्दीः उत्तरः सुखमनी देवी, दक्षिणः डॉ. शिव नंदन भगत, पूर्वः छत्रधारी मेहता, पश्चिमः कच्ची डगर।	ए) 29-01-2026 बी) 01-11-2025	रु. 14,70,000/- (ऋण खाता सं. 923030054006471 के अंतर्गत) तथा रु. 30,000/- (ऋण खाता सं. 923030054006484 के अंतर्गत)।	रु. 16,56,217.27/- ऋण खाता सं. 923030054006471 के अंतर्गत 29-01-2026 तक देय (इस राशि में 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है) तथा ऋण खाता सं. 923030054006484 के अंतर्गत 29-01-2026 तक देय रु. 32,416.09/- (बत्तीस हजार चार सौ सोलह रुपये और नौ पैसे मात्र) (इस राशि में 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है)। कुल बकाया राशिः रु. 16,88,633.36/- (सोलह लाख अठासी हजार छह सौ तैंतीस रुपये और छत्तीस पैसे मात्र)।
4.	श्री मनोज कुमार साह (उधारकर्ता) पिताः राधे साह ग्राम–नौवाबाखर (नवा बाखर), शहर–सुपौल, डाकघर–नौवाबाखर, थरबिटिया रेलवे स्टेशन के निकट, जिला–सुपौल, बिहार–852138 श्रीमती सुदामा देवी (सह-आवेदक/उधारकर्ता) पत्नीः राधे साह वार्ड संख्या 15, ग्राम–नौवाबाखर (नवा बाखर), शहर–सुपौल, डाकघर–नौवाबाखर, थरबिटिया रेलवे स्टेशन के निकट, जिला–सुपौल, बिहार–852138	आवासीय भूमि एवं भवन का संपूर्ण भूखंड, क्षेत्रफल 4.9735 डिसमिल, मूल विक्रय विलेख संख्या 6024 दिनांक 21/11/1997 के अनुसार श्रीमती सुदामा देवी, पत्नीः राधे साह के नाम पर स्थित। मौजा–शिवपुरी, थाना संख्या 84/1, तौजी संख्या 535, उप-निबंधन कार्यालय एवं थाना–किसानपुरा, जिला–सुपौल; खाता संख्या 1007, खेसरा संख्या 7825 एवं 7831 (सभी पुराने) / 10337, 10377 एवं 10338 (नए)। विलेख संख्या 6024 दिनांक 21.11.1997 अनुसार चौहद्दीः उत्तरः सड़क, दक्षिणः राम रूप महतो, पूर्वः दिनेश प्रसाद यादव, पश्चिमः क्रेता।	ए) 29-01-2026 बी) 01-11-2025	रु. 19,00,000/- (ऋण खाता सं. 921030004380204 के अंतर्गत) तथा रु. 30,000/- (ऋण खाता सं. 921030004380217 के अंतर्गत)।	रु. 7,79,111.88/- ऋण खाता सं. 921030052676111 के अंतर्गत 29-01-2026 तक देय (इस राशि में 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है) तथा ऋण खाता सं. 921030052676140 के अंतर्गत 29-01-2026 तक देय रु. 23,947.93/- (इस राशि में 05-05-2025 तक लगाया गया ब्याज शामिल है)। कुल बकाया राशिः रु. 8,03,059.81/- (आठ लाख तीन हजार उनसाठ रुपये और इक्यासी पैसे मात्र)।

सूचना की वैकल्पिक तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपर्युक्त उधारकर्ताओं और/या जमानतकर्ताओं (जहाँ भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान, भविष्य में लगने वाले ब्याज तथा लागू शुल्कों सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। ऐसा न करने पर, इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, उपधारा (2) में उल्लिखित सूचना प्राप्त होने के बाद कोई भी उधारकर्ता सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में उल्लिखित अपनी किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे (लीज) या अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उधारकर्ताओं को उपलब्ध समय के संबंध में उनका ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8):

"जहाँ सुरक्षित लेनदार की समस्त बकाया राशि, उसके द्वारा किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित, सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री द्वारा हस्तांतरण हेतु सार्वजनिक नीलामी की सूचना प्रकाशित करने अथवा जनता से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने या निजी संधि करने की तिथि से पूर्व किसी भी समय सुरक्षित लेनदार को अदा कर दी जाती है, वहाँ:–

i) सुरक्षित लेनदार द्वारा उन सुरक्षित परिसंपत्तियों को पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा; तथा

ii) यदि इस उपधारा के अधीन ऐसी राशि अदा करने से पहले सुरक्षित लेनदार द्वारा परिसंपत्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के लिए कोई कदम उठाया गया हो, तो ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा ऐसी सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री द्वारा हस्तांतरण हेतु आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।"

दिनांकः 18/10/2026 स्थानः सुपौल एवं मधेपुरा

-ह.- प्राधिकृत अधिकारी एक्सिस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

119 FOUNDATION YEAR LEADING WITH TRUST

शाखा-गुलाबबाग, मार्केटिंग यार्ड के पास गुलाबबाग, पूर्णिया, 854326, बिहार, भारत, फ़ोन/फोन। 8294634975 ईमेल/ईमेल gulabb@bankofbaroda.com, वेबः www.bankofbaroda.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी सूचना

"परिशिष्ट- IV-A [नियम 6 (2) एवं 8 (6) के परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को नीचे उल्लिखित खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए **'जैसा है, जहां है', 'जैसा है, जो है'** एवं **'जो कुछ भी है'** के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर/सुरक्षित संपत्ति/संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए 30 दिन की बिक्री सूचना

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं बिक्री सूचना की तिथि	उधारकर्ता/ गारंटर / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण, ज्ञात भारों सहित, (मालिक/बन्धककर्ता का नाम)	कुल बकाया राशि (वास्तविक) ब्याज सहित दिनांक 04.10.2026 तक) वसूली (यदि कोई हो) घटाकर	ई-नीलामी की तिथि ई-नीलामी का समय प्रारंभ समय __ से समाप्ति समय	1. आरक्षित मूल्य 2. बयाना राशि (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि	स्वामित्व की स्थिति (सांकेतिक / भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	शाखा- गुलाबबाग 16.10.2026	1. मेसर्स सोनू कुमार गोलू कुमार, प्रोप-मनोज कुमार चौधरी, पता- मार्केटिंग यार्ड गुलाबबाग, शनि मंदिर, पूर्णिया- 854326, बिहार 2. श्री मनोज कुमार चौधरी प्रोप मेसर्स सोनू कुमार गोलू कुमार 3. श्री सुमन कुमार जयसवाल (गारंटर) पिता- उपेन्द्र प्रसाद जयसवाल, पता- बागेश्वरी स्थान गुलाबबाग, पूर्णिया- 854326, बिहार 4. श्रीमती मधु देवी (गारंटर) पत्नी- मनोज कुमार चौधरी, पता- शनि मंदिर, गुलाबबाग, पूर्णिया- 854326, बिहार 5. श्री पवन कुमार चौधरी (गारंटर) पिता रमाकांत चौधरी, पता- शांति मंदिर गुलाबबाग,पूर्णिया- 854326, बिहार	संपत्ति का वह पूरा भाग एवं अंश,जिसका सेल डीड संख्या 15758 दिनांक 09-10-2010 के अंतर्गत आता है जोकि श्री मनोज कुमार चौधरी एवं श्री पवन कुमार चौधरी के नाम पर है जिसका मौजाः अब्दुल्ला नगर, पूर्णिया, खाता संख्याः 802, खेसरा संख्याः 94, थाना सदर, पूर्णिया के अंतर्गत आता है एवं इसका कुल क्षेत्रफल 6 डेसिमल 3 स्क्वायर कड़ी (यानी 03 कट्ठा) है। **चौहद्दी का विवरणः**उत्तरः निज लेखकारी, दक्षिणः निज लेखकारी, पूर्वः 10 फीट चौड़ी निजी सड़क, पश्चिमः रेलवे की जमीन	रु. 34,87,003.66/- + अन्य शुल्क + दिनांक 05-10-2026 से आगे का ब्याज	ई-नीलामी की तिथिः 26-11-2026 ई-नीलामी का समयः दोपहर 14:00 से शाम 18:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रु. 24,85,000/- ईएमडी जमा राशि- रु. 2,48,500/- बोली वृद्धि राशि- रु.10,000/-	सांकेतिक	दिनांकः 21.11.2026 समयः 10:00 से 17:00

बिक्री की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction एवं ऑनलाइन नीलामी पोर्टल Baanknet.com पर जाएं। साथ ही, इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर **8294634975** पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 16.10.2026 स्थानः पूर्णिया

विवाद की स्थिती में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा